


प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S R GROUP OF INSTITUTION, JHANSI




(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



Principal
Polytechnic S. R. Group of
Institutions, JHANSI

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)


सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S R GROUP OF INSTITUTION



(एफ0आर0 खान)

सचिव

बतौर:-

अधिव. परिषद विद्या परिषद.

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- अधिव.परिषद संख्या/2023/12000001

दिनांक: 12-09-2023

:-आज्ञापन हेतु:-

अधिव. भारतीय (राज्यीय) विद्या परिषद एवं भारतीय वायुमन अंश इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संवर्धित विद्यार्थी राष्ट्रीय (राज्यीय) विद्या संस्थानों को अनुमोदन विद्यालय प्रदान किए जाने के उपरान्त अधिविद्या परिषद, 3+ 3+ संरचना से सम्बन्धित विद्यालय प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमांक: दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद बतौरत्व में सम्बन्धित समिति की बैठक संवर्धन हुई। बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु अधिविद्या भारतीय (राज्यीय) विद्या परिषद/राज्यीय वायुमन अंश इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों को प्रदान अनुमोदन विद्यालय एवं सम्बन्धित समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बन्धित विद्यालय प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बन्धित समिति की बैठक में विवेक एवं निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय को अधिविद्या परिषद, 30 को संरचना द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु विद्यार्थीवर्ग एवं अन्य अधिविद्या प्रवेश संस्था हेतु सम्बन्धित विद्यालय प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं समूह : 3333-S R GROUP OF INSTITUTION			
क्र.सं.	संस्थान का नाम	संस्थानों/विद्यालयों की संख्या वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रवेश संस्था	परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रवेश संस्था
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
4	MEDICAL ENGINEERING	60	60
5	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	0	0

सम्बन्धित हेतु एवं

✓ अधिविद्या विद्या, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश सरकार के संख्या संख्या 31/16-00000/2022 दिनांक-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से अधिविद्या संस्था संस्थानों की ओर से विद्यालय संस्था संस्था में अधिविद्या विद्या संस्था 5027/2023 में अधिविद्या संस्था में अधिविद्या विद्या संस्था की जाती है।

- ✓ संस्था के औपिक स्थतीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S R GROUP OF INSTITUTION

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव